फर्द अहकाम

राजस्व–पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 109/2023वाद

मांगीलाल बनाम रोशनलाल वगैराह

दिनांक	आदेशिका	हस्ताक्षर/ सूचना
25/9/24	पत्रावली पेश हुई । अधिवक्ता पक्षकारान् उपस्थित है ।अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 24.09.2024 को लिखित बहस पेश की जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रतिवादी को दिनांक 25.09.2024 को दिलाई गई । अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे बताया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद गंभीर दोष से ग्रसित है वादी का वाद आदेश 9 के प्रस्थम्भो से ग्रसित होकर मेन्डेटरी प्रोविजन के विरूद्व वादी द्वारा यह नया वाद पेश किया है जिसे विधि पेश करने की स्वीकृति प्रदान नही करती है वादी का वाद आदेश 09 के सुस्थापित सिद्वान्तो के विपरित पेश किया गया है एवं वाद कारण भी रिक्त है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी विभाजन दिनांक 11.6.2013 को चुका है । वादी ने एक ही विषयवस्तु के लिये एक अन्य वाद आप न्यायालय मे पेश किया गया है जो विधि के सुयोग्य निर्धारित प्रकमो पर निरस्त हो चुका है जिसके लिये विधि मे मेन्डेटरी प्रोविजन होते हुए नये वाद का सृजन वादी नही कर सकता है जिसकी विधि स्वीकृति प्रदान नही करती है ।अतः प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी.स्वीकार फरमाया जावे व वादी का वाद एवं प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व होने से इसी स्टेज पर सव्यय खारिज फरमाया जावे । अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा. दी. के जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे बताया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सच्चे एवं ठोस आधारो पर प्रस्तुत किया गया है जिसमे किसी भी प्रकार का कोई गंभीर दोष नही है वादी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है । प्रस्तुत वाद न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकाार मे होकर विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तो के अनुरूप आप न्यायालय मे पोषणीय है वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 मे दिये गये विधिक प्रावधानो के अनुरूप प्रस्तुत किया गया है वादग्रस्त भूमि संयुक्त स्वामित्व की है कभी भी विभाजन नही हुआ है जिससे कृषि भूमि का विभाजन जरिये मिट्स एण्ड बाउण्ड से किया जाना आवश्यक हो आप न्यायालय के अधिकारिता मे है । अतः प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 अस्वीकार कर सव्यय खारिज फरमाया जावे । बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से सिद्व है कि वादी ने एक ही विषयवस्तु के लिये एक अन्य वाद संख्या 47/2021इस न्यायालय मे पेश किया गया है जो दिनांक 28.06.2021 को अदम पैरवी अदम हाजरी मे खारिज हो चुका है । अर्थात पूर्व के वाद को रेस्टोर न करवा नया वाद पेश करने व आबादी भूमि का भी अनुतोष होने से प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाना व वादी का वाद खारिज किया जाना न्यायोचित है । अतः प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाता है एवं वादी का वाद खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ राजसमन्द	सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ

Scanned with OKEN Scanner